न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुधाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1).(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 41 वर्ष 2024

आवेदक– राज कुमार रविदास वगै0
ग्राम– झिरकी, रविदास टोला परगना– जगेसर
थाना– गोमिया जिला–बोकारो

क्रेता– बेबी देवी
ग्राम– झिरकी, रविदास टोला परगना– जगेसर
थाना– गोमिया जिला–बोकारो

आदेश की क्र0सं0 तारीख 01	आदेश एंव पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख 03
06/12/24		

आदेश

यह वाद आवेदक 1. राज कुमार रविदास 2. राज कपुर दास दोनो का पिता–चरकु रविदास, मूल निवास ग्राम–साड़म, पो0–साड़म, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो एवं वर्तमान पता–ग्राम–खम्हरा, हरिजन टोला परगना–जगेसर थाना–आई0ई0एल0 गोमिया, जिला–बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
पलानी	119	69	153	50 डी	10 डी0	वर्त्तमान स्वरूप टांड

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 25,000/–(पचीस हजार) रूपये में क्रेता–बेबी देवी, पति–सुरेन्द्र रविदास, ग्राम–झिरकी, पो0–कथारा, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1).(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 795/रा0, दिनांक 11.07.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी गोमिया के पत्रांक–615, दिनांक–01.08.2024 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनो चमार जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एंव क्रेता दोनों एक ही जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में सुकर दुसाध वगै0 के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0– 59, भौलुम सं0–II पर ढुपा रविदास के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 1976–77 से 2019–20 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार केवाला हैं।
03. खतियानधारी रैयत से बिकेता का संबंध वंशावली के आधार पर दादा का है। बिकी की जाने वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एंव बिकेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधग्रहण क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिकेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में सुकर दुसाध वगै0 के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0– 59, भौलुम सं0–II पर ढुपा रविदास के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 1976–77 से 2019–20 तक निर्गत हैं। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैं:–

01. बिकेता– केवाला की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. केता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एंव अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनो चमार जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग के अतंर्गत आते हैं। बिकेता एंव केता दोनों एक ही जिला अन्तर्गत के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की जमीन है, जो केवाला के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः 1. राज कुमार रविदास 2. राज कपुर दास दोनो का पिता–चरकु रविदास, मूल निवास ग्राम–साड़म, पो0–साड़म, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो एवं वर्तमान पता–ग्राम–खम्हरा, हरिजन टोला परगना–जगेसर थाना–आई0ई0एल0 गोमिया, जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
पलानी 119	69	153	0.50 ए0	0.10 ए0	पूजा देवी	रास्ता	पूजा देवी	लालू गोप
			कुल	10 डी0 (दस डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 94,000/–(चौरानबे हजार) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता–बेबी देवी, पति–सुरेन्द्र रविदास, ग्राम–झिरकी, पो0–कथारा, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.01 23:11:58 +05:00
Location: 192.168.1.34

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।